मेहनतकशों का पैग़ाम
मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com
Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

सीपी साहब! एफआईआर लिखे जाने की सच्चाई देख लो 2
यूपी पुलिस पर दर्ज अपहरण का केस पड़ताल में निकला झूठा 4
लखानी मज़दूरों का संघर्ष अपने अंजाम तक पहुंचने लगा है 5
बात बागेश्वरधाम की नहीं है ! 6
श्रममंत्री जी, थोड़ा श्रम ईएसआईसी में भी करो 8

वर्ष 37 | अंक 42 | फरीदाबाद | 21-27 मई 2023 | फोन-8851091460 | ₹ 5.00

अम्मा अस्पताल में मरीज को जम कर लूटने की एक और वारदात

पांच दिन में जान तो बचा न सके, साढ़े आठ लाख रुपये का बिल जरूर बना दिया

- परिजनों का आरोप : 9 मई को ही चली गई थी मरीज की जान, पांच दिन वेंटिलेटर पर लगाकर बना दिया 5.26 लाख का बिल

- मेट्रो अस्पताल वालों ने भी दो दिन में लूटे 2.78 लाख रुपये

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) धर्म और समाजसेवा की आड़ में खोले गए अम्मा के फाइव स्टार हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर मरीजों को लूटने का काम जारी है। इस बार तो युवक की मौत होने के बाद भी उसे वेंटिलेटर पर रख कर चार दिन जिंदा बताया गया। जिंदा रहने की आस खो चुके परिजनों ने हंगामा किया तो उनसे कहा गया कि शव चाहिए तो बकाया साढ़े पांच लाख रुपये बिल का भुगतान करें। पुलिस और जनप्रतिनिधियों के हस्तक्षेप के बाद बिल माफ कर शव परिजनों को सौंपा गया।

इससे पहले इसी अम्मा अस्पताल में चाकूबाजी में मृत युवक का शव नौ घंटे रखने के बाद नौ लाख रुपये का बिल बनाया गया था।

तिगांव के मंधावली गांव निवासी धर्मराज के 24 वर्षीय बेटे कुलदीप के पेट में काफी दिनों से दर्द की समस्या थी। सेक्टर 28 स्थित शंकर मेडिकल सेंटर में

जांच के बाद पेशाब की नली में पथरी बताई गई। एक मई को इसी अस्पताल में ऑपरेशन कर पथरी निकाल दी गई लेकिन कुलदीप का दर्द खत्म नहीं हुआ। शंकर मेडिकल सेंटर वालों ने कुलदीप को मेट्रो अस्पताल ले जाने की सलाह दी। पांच मई की रात कुलदीप को मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां भी दो दिन में 2.78 लाख रुपये का बिल बनाकर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया।

अम्मा के भक्तों की सलाह पर परिजन नौ मई को कुलदीप को लेकर अम्मा अस्पताल पहुंचे। यहां तुरंत ही साढ़े तीन लाख रुपये जमा करा लिए गए। गरीब धर्मराज ने बेटे की जान बचने की आस में अपनी भैंसें बेच कर रुपये जमा करवाए। चाचा बंटी का आरोप है कि नौ मई को अस्पताल में एमआरआई कराने के दौरान ही कुलदीप की मौत हो गई थी। कुलदीप के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी थीं। न तो उसकी सांसें चल रही थीं और न ही शरीर में कोई जुंबिश थी।

आरोप है कि बावजूद इसके डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर चढ़ा दिया। चार दिन के इलाज का 5.26 लाख रुपये बिल बना दिया। आरोप है कि कुलदीप के पास तो जाने नहीं दिया जा रहा था लेकिन अस्पताल वाले बकाया सवा पांच लाख रुपये जमा करवाने का दबाव बना रहे थे।

परिजनों को समझ में आ गया कि अब अस्पताल प्रबंधन रुपये ऐंठ रहा है कुलदीप की तो जान जाने कब की जा चुकी। परिजनों ने हंगामा किया तो एसीपी तिगांव पुलिस बल सहित मौके पर पहुंच गए। तिगांव विधायक के भाई भी आ गए। इन लोगों के हस्तक्षेप के बाद अस्पताल प्रबंधन ने बकाया बिल माफ किया और शव परिजनों के सुपुर्द किया।

दरअसल अम्मा अस्पताल गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए नहीं बल्कि धनपशुओं को फाइव स्टार सुविधाओं वाला इलाज उपलब्ध करने के लिए खोला गया है। इनकी दुकानदारी अधिकतर उन ग्राहकों से चलती है जो मोटा हेल्थ इंश्योरेंस कराए हुए होते हैं। यदि कोई गरीब इस अस्पताल में पहुंच जाता है तो उसे इलाज कराने के लिए धर्मराज की तरह या तो अपनी पूंजी यानी भैंसें बेचनी पड़ती हैं या चाकूबाजी में मौत का शिकार हुए यादराम के परिजनों की तरह बिल को लेकर हंगामा करना पड़ता है।

पुलिस आयुक्त कार्यालय के सामने हेट स्पीच देने वाले बिट्टू पर पुलिस मेहरबान

मुजेसर पुलिस ने दलित पीड़ित को यह कहते हुए लौटाया कि बजरंग दल के बंदे हैं, शिकायत दर्ज नहीं होगी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) पुलिस आयुक्त और उनके मातहत मानो पीड़ित को न्याय दिलाने नहीं बल्कि सत्तापक्ष के समर्थित गुंडों-अराजकतत्वों को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं। सांप्रदायिक संगठन के सदस्य बिट्टू बजरंगी और उसके साथी सार्वजनिक रूप से मुस्लिम समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दलित समुदाय के सदस्यों के साथ मारपीट करते हैं। सांप्रदायिक दंगाई संगठन के सदस्य संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। यहां तक कि दलित समाज के पीड़ितों को थाने से भगा दिया

सीपी ऑफिस के सामने प्रदर्शनकारी

तलवारों के जखीरे के साथ बिट्टू बजरंगी

जाता है।

सांप्रदायिक दंगाइयों की समाज विरोधी हरकतों पर रोक लगाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकार समिति और भीम सेना आगे आई हैं। इन संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट समेत पुलिस आयुक्त से शिकायत कर बिट्टू बजरंगी और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

सामाजिक न्याय अधिकार समिति के चेयरमैन दीन दयाल गौतम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को आदेश जारी किया कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ पुलिस किसी

शेष पेज दो पर